

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./~~1067~~-6/2018/429

दिनांक:- 02.08.2018

—:आदेश:—

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मि जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	नारायण लाल गसासिया	नर्स प्रथम	बाडमेर	21.01.59	31.01.2019
2.	सुमन पुरोहित	नर्स प्रथम	जोधपुर	20.01.59	31.01.2019
3.	महबूब शाह	नर्स प्रथम	झालावाड	01.02.59	31.01.2019
4.	सुमन वर्मा	नर्स प्रथम	जोधपुर	07.01.59	31.01.2019
5.	मोनी अम्मा बी	नर्स प्रथम	जयपुर	06.01.59	31.01.2019
6.	मोहनलाल रेगर	नर्स प्रथम	चित्तोडगढ	06.01.59	31.01.2019
7.	भगा राम भाटी	नर्स प्रथम	पाली	30.01.59	31.01.2019
8.	भंवरलाल चान्दोरा	नर्स प्रथम	पाली	01.02.59	31.01.2019
9.	वलसम्मा एन.वी.	नर्स प्रथम	अजमेर	15.01.59	31.01.2019
10.	रामस्वरूप वैष्णव	नर्स प्रथम	अजमेर	02.02.59	28.02.2019
11.	एस्टर पुष्पलता	नर्स प्रथम	अजमेर	03.02.59	28.02.2019
12.	छोटेलाल	नर्स प्रथम	अजमेर	05.02.59	28.02.2019
13.	किशोरकुमार शेखावत	नर्स प्रथम	अजमेर	21.02.59	28.02.2019
14.	मरियम यू	नर्स प्रथम	चित्तोडगढ	09.02.59	28.02.2019
15.	मटिल्डा प्रेमरोज	नर्स प्रथम	अजमेर	10.02.59	28.02.2019
16.	अरुणा लाजरस	नर्स प्रथम	जोधपुर	15.02.59	28.02.2019
17.	मोहन राम मेघवाल	नर्स प्रथम	पाली	15.02.59	28.02.2019
18.	मदन लाल जाटव	नर्स प्रथम	झुंझुनू	04.03.59	31.03.2019
19.	लिल्ली कुटटी पौलोस	नर्स प्रथम	चूरू	17.03.59	31.03.2019
20.	सुरान्ना पी.	नर्स प्रथम	जयपुर	14.04.59	30.04.2019
21.	शीला कुमारी	नर्स प्रथम	अजमेर	12.04.59	30.04.2019
22.	सत्य नारायण शर्मा	पीएचएन	टाँक	17.04.59	30.04.2019
23.	मांगीलाल	नर्स प्रथम	जैसलमेर	13.04.59	30.04.2019
24.	संतोष शर्मा	नर्स प्रथम	जोधपुर	11.04.59	30.04.2019
25.	सावित्री	नर्स प्रथम	अजमेर	01.06.59	31.05.2019
26.	मुन्नी जावा	नर्स प्रथम	जोधपुर	02.05.59	31.05.2019
27.	रामस्वरूप गोस्वामी	नर्स प्रथम	झालावाड	01.07.59	30.06.2019
28.	बनवारी लाल शर्मा	नर्स प्रथम	जयपुर	07.09.59	30.09.2019
29.	इन्दुशेखर शर्मा	नर्स प्रथम	जयपुर	15.09.59	30.09.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

—Sd—

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि/2018/429

दिनांक: 02.08.2018

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
4. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करे।
11. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर